अ०शा०प०सं०- 1179/5-9-13-6(74)/94TC

जावेद उस्मानी
आई.ए.एस.

फोन : (0522) 2621599, 2238212 (का0)
(0522) 0522-2239283 (फैक्स)
(0522) 2239461 (आ0)

उत्तर प्रदेश शासन
(लाल बहादुर शास्त्री भवन)
लखनऊ – 226001
E-mail : csup@nic.in

दिनांक 08 नवम्बर, 2013

प्रिय महोदय,

वर्ष–2011 की जनगणना के अन्तिम आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में बाल लिंग अनुपात (0–06 वर्ष की उम्र) में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट आयी है। प्रदेश का बाल लिंग अनुपात वर्ष–2001 में 916 था, जो कि वर्ष–2011 में घटकर 902 हो गया है। प्रदेश में गिरता हुआ बाल लिंग अनुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। गिरते हुए बाल लिंग अनुपात का मुख्य कारण पुत्र प्राप्ति की लालसा में आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। लिंग चयन की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम–1994 प्रख्यापित किया गया है, जो प्रदेश में लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु आप अपने जनपद के समुचित प्राधिकारी हैं।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम–1994 के कियान्वयन को गति प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदीय समुचित प्राधिकारी (जिलाधिकारी) के प्रतिनिधि तथा जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नामित नोडल अधिकारी को संवेदीकरण किए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23, 24 एवं 25 अप्रैल, 2013 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ में किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से रिसोर्स पर्सन आमंत्रित किये गये थे, परन्तु 50 जनपदों से इस कार्यालय में किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया। तत्क्रम में पुनः दिनांक 14.06.2013 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, किन्तु इस बार भी संलग्न सूची में अंकित जनपदों से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिभागिता नहीं की गयी। यह स्थिति इस महत्वपूर्ण अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु आपके वांछित योगदान न प्रदान करने का परिचायक है। आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यशालाओं में आपके अथवा नामित प्रतिनिधि के द्वारा अवश्य प्रतिभागिता की जाय, जिससे जनपद में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम का सक्रिय रूप से क्रियान्वयन किया जा सके।

2– वर्णित स्थिति में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम–1994 को और अधिक प्रभावी ढंग से कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अपने स्तर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें :–

(1) जनपद के समस्त क्षेत्रों (ग्रामीण एवं शहरी) में ऐसे स्थानों की मैपिंग करायी जाये जहॉ अल्ट्रासाउण्ड जांच की सुविधा है। इन अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों को पंजीकृत केन्द्रों की सूची से मिलान कर अपंजीकृत केन्द्रों को चिन्हित किया जाय। ऐसे अपंजीकृत केन्द्रों के विरूद्ध पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट–1994 के नियम–11(2) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(2) जनपदों के सभी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय, जिन अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर अधिनियम के उल्लंघन का मामला

R. DO

प्रकाश में आये, उन केन्द्रों की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनें एवं सम्बन्धित उपकरण सील करते हुए पंजीकरण निलम्बित किया जाय तथा केन्द्रों को दो प्रतियों में निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रतियॉ समुचित प्राधिकारी के स्तर पर सरेण्डर कराते हुए उनके विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं/नियमों के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालयों में वाद योजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(3) जनपद स्तर पर गठित निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति को सक्रिय कर इस समिति द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम पॉच केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में सलाहकार समिति का गठन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट–1994 की धारा–17(6) के अनुरूप हो। यदि ऐसा न हो, तो उक्त अधिनियम के अनुरूप इस समिति का पुनर्गठन किया जाना सुनिश्चित करें। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट–1994 के नियम–15 के अनुसार इस समिति की बैठक अपनी अध्यक्षता में 60 दिन के अन्तराल पर सुनिश्चित करायी जाय। इस बैठक में समस्त अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों द्वारा पिछले दो माह की प्रेषित आख्या की समीक्षा की जाय एवं ऐसे अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र जिनके द्वारा आख्या उपलब्ध नही करायी जा रही है अथवा अपूर्ण आख्या उपलब्ध करायी जा रही हो, उनके विरूद्ध उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) जनपद स्तर पर आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट–1994 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में योजित वादों की समीक्षा करने हेतु उक्त बिन्दु को बैठक के एजेण्डे में शामिल करते हुए नियमित समीक्षा की जाय और लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। (इस हेतु लम्बित वादों की जनपदवार सूची संलग्न की जा रही है।) साथ ही जनपद स्तर पर गठित मानीटरिंग सेल की बैठक के एजेण्डे में भी उक्त बिन्दु को सम्मिलित कर नियमित समीक्षा कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(6) जनपदों में वैध लाइसेन्स वाले अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों की सूची समय–समय पर विभिन्न प्रचार के माध्यमों से जन सामान्य तक प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में आप व्यक्तिगत रूचि लेकर पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट–1994 की गति–विधियों को प्रभावी रूप से कियान्वित करायेंगे।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)

समस्त जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (नाम से)
पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम–1994,उत्तर प्रदेश।

R. DO